# हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नामांकन प्रोफार्मा

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम : -----------------------------------------------

2. पदनाम व कर्मचारी संख्या : -----------------------------------------------

3. संपर्क नम्बर (मोबाइल नं.) : -----------------------------------------------

4. ई-मेल : -----------------------------------------------

5. कार्यालय/ विभाग का नाम : -----------------------------------------------

6. प्रतियोगिता:
   1. -----------------------------------------------
   2. -----------------------------------------------
   3. -----------------------------------------------
   4. -----------------------------------------------
   5. -----------------------------------------------

## प्रतियोगिताओं संबंधी दिशा निर्देश

1. प्रतियोगिताओं के संचालन, परिणाम तैयार करने और पुरस्कार संबंधी निर्णय के लिए सिफारिश करने हेतु गठित निर्णायक मंडल का निर्णय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए बाध्य होगा।

2. हिंदी निबंध लेखन तथा हिंदी भाषण प्रतियोगिता का विषय प्रतियोगिता से 2 दिन पहले ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। निबंध लेखन हेतु अधिकतम शब्द सीमा 800-1000 शब्द है और शब्द सीमा से अधिक होने पर नकारात्मक अंकन किया जाएगा। निबंध लेखन के लिए समय 1:00 घंटे का होगा। हिंदी भाषण प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा।

3. काव्य पाठ प्रतियोगिता में स्वरचित अथवा किसी अन्य कवि की किसी एक रचना का पाठ किया जा सकता है। विगत वर्षों में सुनाई गई रचनाओं की पुनरावृति न की जाए। स्वरचित कविता के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

4. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार (3500/- रूपए), द्वितीय पुरस्कार (3000/- रूपए), तृत्तीय पुरस्कार (2500/- रूपए), तथा चार प्रोत्साहन पुरस्कार ( प्रत्येक 1000/- रूपए), दिए जाएंगे।

5. प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार पुरस्कारों की संख्या अधिक /कम की जा सकती है।

6. हिंदी प्रतियोगिताएं राजभाषा का प्रचार प्रसार करने और हिंदी में कार्य करने के प्रति कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं । अत: एक से अधिक प्रतियोगिता में विजेता घोषित होने वाले कार्मिक केवल एक ही पुरस्कार (उच्चतम) पाने के अधिकारी होंगे। एक ही स्थान/ पुरस्कार के लिए एक से अधिक विजेता घोषित होने की स्थिति में पुरस्कार राशि को समान हिस्सों में बांटा जाएगा।

7. नामित प्रतिभागी का नाम, पदनाम, फोन नंबर, ई-मेल आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए ।

8. हिंदी कैडर के कार्मिक तथा राजभाषा समन्वयक इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।